पत्र संख्या–न्याय–5(1)रिट–2 / इलाहाबाद / 2023–24 / 222 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उ0प्र0
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांक 18, मई 2023

अपर आयुक्त ग्रेड–1 / ग्रेड–2 राज्य कर
संयुक्त आयुक्त (कार्पोरेट सर्किल) / संयुक्त आयुक्त राज्य कर
उपायुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी,राज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0 के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संस्थित वादों की पैरवी के दौरान तथा कोर्ट में उपस्थित स्थायी अधिवक्ता द्वारा संज्ञानित किया गया है कि राज्य कर विभाग से सम्बन्धित वादों में इन्स्ट्रक्शन मंगाये जाने पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपूर्ण इन्स्ट्रक्शन प्रेषित किया जा रहा है। प्रायः उनके द्वारा रिट याचिका का बिन्दुवार सम्यक अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके अभाव में उनके द्वारा प्रेषित इन्स्ट्रक्शन में तथ्यों का उपयुक्त समावेश तथा विधिक विवेचना नहीं हो पा रही है। कई बार रिट याचिका मा0 न्यायालय की रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद सुनवाई अथवा मा0 न्यायालय के निर्देशों के बाद इन्स्ट्रक्शन मंगाने के लिये बेहद कम समय प्राप्त होता है जिसके कारण उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज के कार्यालय द्वारा प्रायः ई–मेल / वाटस–एप पर इन्स्ट्रक्शन मंगाए जाते हैं जिसके प्रत्युत्तर में फील्ड अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार के साथ–साथ अपठनीय इन्स्ट्रक्शन भी प्रेषित कर दिये जाते हैं। यह भी दृष्टव्य हो रहा है कि उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज के कार्यालय द्वारा इन्स्ट्रक्शन हेतु सम्पर्क किये जाने पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा यथावश्यक सहयोग नहीं किया जाता है और न ही समयान्तर्गत इन्स्ट्रक्शन प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विभागीय पक्ष को सक्षम तरीके से प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। **अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रायः अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सही तथ्यों के आधार पर सम्यक इन्स्ट्रक्शन मय संलग्नकों सहित प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।**

अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करते हुये तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट एवं विधिक रूप से विवेचित इन्स्ट्रक्शन पठनीय प्रति में अपर आयुक्त ग्रेड–1 (उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर प्रयागराज को समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करे जिसमें सन्दर्भगत संलग्नकों को यथावश्यक रूप से संलग्न किया गया हो ताकि वादों की सक्षम पैरवी की जा सके और माननीय न्यायालय में किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े । माननीय न्यायालय में किसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर उ0प0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

भवदीया,

(गीता सिंह)
अपर आयुक्त (विधि),राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन दिनांक उक्त
प्रतिलिपि–

1. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पूर्ण परिपालन सुनिश्चित करें ।

2. अपर आयुक्त ग्रेड–1(उच्च न्या0 कार्य)राज्य कर प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0अनुभाग)राज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु उक्त को विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

18.5.2023

अपर आयुक्त (विधि),राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।